कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची

पत्रांक 156 /

प्रेषकः–

बादल राज,
जिला शिक्षा अधीक्षक,
राँची।

सेवा में,

जिले के सभी
क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी,
अवर विद्यालय निरीक्षक,
प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी,
राँची जिला

राँची, दिनांक 17-01-26

विषयः– **झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 (यथा संशोधित, 2019 एवं 2025) के अंतर्गत जिले के गैर सरकारी निजी विद्यालयों को मान्यता देने के संबंध में।**

प्रसंग :– **सरकार के सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 25 दिनांक 09.01.2026**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में अंकित करना है कि झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 अधिसूचना संख्या 1291 दिनांक 11.05.2011 यथा संशोधन अधिसूचना संख्या 629 दिनांक 25.04.2019 एवं अधिसूचना संख्या 1787 दिनांक 11.09. 2025 के क्रम में जिले के गैर सरकारी निजी विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने हेतु ऑनलाईन पोर्टल में संशोधन किया गया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिव्यू संख्या 88/2025 में दिनांक 14.10.2025 को पारित न्यायादेश के क्रम में आवश्यक बदलाव किये गये हैं।

गैर सरकारी निजी विद्यालयों द्वारा मान्यता प्रदान करने हेतु https://rte.jharkhand. gov.in/ पर ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया जा सकता है।

मान्यता संबंधी कार्रवाई हेतु निम्न रूपेण समय सीमा निर्धारित की गयी है।

विद्यालयों को आर.टी.ई.पोर्टल में ऑनलाईन आवेदन करने की अधिकतम सीमा	03 माह
जिला शिक्षा अधीक्षक (समिति के सदस्य सचिव) द्वारा विद्यालय का निरीक्षण करने हेतु अधिकतम समय–सीमा	03 माह
जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बैठक करने एवं निर्णय लेने हेतु अधिकतम समय–सीमा	15 दिन
समिति की बैठक की कार्यवाही प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को ऑनलाईन अग्रसारित किये जाने की अधिकतम समय–सीमा	07 दिन

गैर सरकारी निजी विद्यालयों को मान्यता हेतु User Manual एवं मान्यता प्रमाण–पत्र प्रारूप https://rte.jharkhand. gov.in/ से डाउनलोड किया जा सकता है।

अतएव निदेश दिया जाता है कि जिले के गैर सरकारी निजी विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने हेतु Right To Education Portal पर ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की सूचना को प्रचारित प्रसारित करना सुनिश्चित करेंगे, RTE Act. को पूर्णतः अनुपालन किया जा सके।

विश्वासभाजन

17/01/26

जिला शिक्षा अधीक्षक,
राँची।

17.1.2026

पत्रांक : 17/विविध–06/2025..25..../

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह, भा०प्र०से०,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला शिक्षा स्थापना समिति, झारखंड।

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, झारखंड।

सभी जिला शिक्षा अधीक्षक, झारखंड।

रॉची, दिनांक 09/01/2026...

विषय : झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 (यथा संशोधित, 2019 एवं 2025) के अंतर्गत राज्य के गैर–सरकारी निजी विद्यालयों को मान्यता देने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011, अधिसूचना संख्या 1291 दिनांक 11.05.2011 यथा संशोधित अधिसूचना संख्या 629 दिनांक 25.04.2019 एवं अधिसूचना संख्या 1787 दिनांक 11.09.2025 के क्रम में राज्य के गैर–सरकारी निजी विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने हेतु ऑनलाईन पोर्टल में संशोधन किया गया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिव्यू संख्या 88/2025 में दिनांक 14.10.2025 को पारित न्यायादेश के क्रम में आवश्यक बदलाव किये गये हैं।

गैर–सरकारी निजी विद्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु https://rte.jharkhand.gov.in/ पर ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया जा सकता है। मान्यता संबंधी कार्रवाई हेतु निम्नरूपेण समय–सीमा निर्धारित की गई है :–

विद्यालयों को RTE Portal में ऑनलाईन आवेदन करने की अधिकतम सीमा	03 माह
जिला शिक्षा अधीक्षक (समिति के सदस्य सचिव) द्वारा विद्यालय का निरीक्षण करने हेतु अधिकतम समय–सीमा।	03 माह
जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बैठक करने एवं निर्णय लेने हेतु अधिकतम समय–सीमा।	15 दिन
समिति की बैठक की कार्यवाही प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को ऑनलाईन अग्रसारित किये जाने की अधिकतम समय–सीमा।	07 दिन

गैर–सरकारी निजी विद्यालय को मान्यता हेतु User Manual एवं मान्यता प्रमाण–पत्र प्रारूप https://rte.jharkhand.gov.in/ से Download किया जा सकता है।

अतएव निदेश दिया जाता है कि राज्य के गैर–सरकारी निजी विद्यालय को मान्यता प्रदान करने हेतु Right To Education Portal पर ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की सूचना को प्रचारित/प्रसारित करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि RTE Act. का पूर्णतः अनुपालन किया जा सके।

विश्वासभाजन,

(उमा शंकर सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 17/विविध–06/2025...25..../ राँची, दिनांक...09.01.2026...

प्रतिलिपि : निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

झारखण्ड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

e-mail-primary896@gmail.com

प्रेस विज्ञप्ति

एतद् द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 (यथा संशोधित, 2019 एवं 2025) के अंतर्गत राज्य के गैर–सरकारी निजी विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने हेतु ऑनलाईन पोर्टल में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिव्यू संख्या 88/2025 में दिनांक 14.10.2025 को पारित न्यायादेश के क्रम में आवश्यक बदलाव किये गये है।

गैर–सरकारी निजी विद्यालय को मान्यता हेतु User Manual एवं मान्यता प्रमाण–पत्र प्रारूप https://rte.jharkhand.gov.in/ से Download किया जा सकता है।

गैर–सरकारी निजी विद्यालय https://rte.jharkhand.gov.in/ के माध्यम से मान्यता हेतु ऑनलाईन आवेदन समर्पित कर सकते हैं।

मनोज कुमार रंजन
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय,
झारखंड, राँची।

PR 371180 School Education and Literacy (25-26)D